सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-2664/DL/36/2025-RU-IV दिनांक : 28.11.2025

सेवा मे,

पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस,
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
ई-मेल: cpdelhi@delhipolice.gov.in

विषय: प्रार्थिनी के साथ हो रहे उत्पीड़न एंव धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा दोषी के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करने के संबंध में – सुश्री वुंग घई किम, 44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट, लॉ फैकल्टी के सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली का दिनांक 31.05.2025 का पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई /की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

सुश्री वुंग घई किम,
44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट,
लॉ फैकल्टी के सामने,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007,
kimngaihte35@gmail.com
Mobile No:9311252428

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-2664/DL/36/2025-RU-IV

अभ्यावेदक सुश्री वुंग घई किम, निवासी 44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट, लॉ फैकल्टी के समक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन "प्रार्थिनी के साथ हो रहे उत्पीड़न एवं धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के" के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2025 को लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 31.10.2025 को 12:20 बजे अपराह्न
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार

संबंधित अभ्यावेदन सुश्री वुंग घई किम, निवासी 44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट, लॉ फैकल्टी के सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 31.05.2025 के पत्र के माध्यम से आयोग में प्राप्त हुई।उक्त अभ्यावेदन में सुश्री वुंग घई किम ने उल्लेख किया है कि उनके साथ एक व्यक्ति, श्री बृजेश कुंतल, द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया गया तथा मथुरा में घर दिलाने के बहाने से ₹12,00,000/- (बारह लाख रुपये) की धोखाधड़ी की गई। साथ ही, उक्त व्यक्ति द्वारा प्रार्थिनी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने, अपमानजनक गालियाँ देने तथा उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर बातें अभ्यावेदन में उल्लिखित हैं।प्रार्थिनी ने यह भी उल्लेख किया है कि मॉरिस नगर, दिल्ली पुलिस स्टेशन में इस संबंध में उनकी लिखित शिकायत दिए जाने के उपरांत भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।सुश्री वुंग घई किम ने आयोग से न्याय की अपेक्षा व्यक्त करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में तथ्यों की जानकारी हेतु आयोग द्वारा पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली को नोटिस दिनांक 20.06.2025 जारी किया गया।

3. संबंधित विभाग से कोई संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा दिनांक 18.09.2025 को सुनवाई निर्धारित की थी, जो संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी |

4. उत्तर दिल्ली पुलिस उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त उत्तर दिनांक 27.09.2025 में उल्लेख किया गया है कि संपत्ति खरीदने के लिए प्रलोभन दिए जाने के आरोप का समर्थन करने हेतु कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कथित जातिसूचक टिप्पणियाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत नहीं आतीं, क्योंकि ये टिप्पणियाँ निजी वातावरण में बिना किसी सार्वजनिक उपस्थिति या साक्षी के की गई थीं। विवाद मुख्यतः दोनों पक्षों के बीच वित्तीय लेन-देन से संबंधित है, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। मामला मूलतः धन वसूली से संबंधित दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है। शिकायतकर्ता को सलाह दी जा सकती है कि वे उपयुक्त राहत के लिए सक्षम न्यायालय में दीवानी वसूली वाद दायर करें।

5. मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा शिकायतकर्ता के लगातार अनुरोध पर आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ पुनः सुनवाई दिनांक 31.10.2025 को निर्धारित की गई और तदनुसार उन्हें समन जारी किए गए।

6. सुनवाई के अवसर पर पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, ने इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की माँग की और उन्होंने इस मामले में आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए उप पुलिस आयुक्त को नामित किया| दिल्ली पुलिस की ओर से उत्तर जिला के उप पुलिस आयुक्त (DCP), सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), थाना प्रभारी (SHO) आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। |

आशा लकड़ा

शिकायतकर्ता भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। संबंधित अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि प्रकरण में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है तथा जांच प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष अपने साथ हुई धोखाधड़ी संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं :

(i) शिकायतकर्ता जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा पुलिस को सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएँ, जिससे जांच प्रक्रिया शीघ्र एवं निष्पक्ष रूप से पूर्ण की जा सके। पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, 30 दिनों की अवधि के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें |

आशा लकड़ा
12/11/2025
(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-2664/DL/36/2025-RU-IV

Sitting to be held on 31.10.2025 at 12.20 P.M- प्रार्थिनी के साथ हो रहे उत्पीड़न एंव धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के संबंध में – **सुश्री वुंग घई किम**, 44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट, लॉ फैकल्टी के सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली का दिनांक 31.05.2025 का पत्र ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police**		
1.	Raja Banthia DCP/North	9818099045	[signature]
2.	VIKAS MEENA ACP CIVIL LINES / NORTH	8750870106	[signature]
3.	DEVENDRA SINGH OBEROI SHO PS MAURICE NAGAR	8750870128	[signature]
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Vung Ngaih Kim		
2.			